,

जिला–राँची

न्यायालयः– दीवानी न्यायाधीश (कनीय कोटि), राँची।

उपस्थितिः– चन्दन कुमार गोस्वामी
दीवानी न्यायाधीश (कनीय कोटि)
व्यवहार न्यायालय, राँची।

मूल (स्वत्व) वाद संख्या–605/2024

राँची, दिनांक 20.07.2026

1. लाल जय गोविन्द राय, पिता–स्व0 मृत्युंजय राय
2. बिश्वनाथ राय, पिता–स्व0 लाल मधुसुदन राय

दोनों निवासी ग्राम–उलातु, महादेव टोला, थाना–रांची, वर्तमान थाना–नामकुम, जिला–रांची ––––––वादी

बनाम

1. लाल हरिहर राय,
2. लाल राम कुमार राय,

दोनों पिता स्व0 दुर्गा प्रसाद राय,
दोनों निवासी–ग्राम–उलातु, महादेव टोला, थाना–रांची, वर्तमान थाना–नामकुम, जिला–रांची ––––––––––––––––प्रतिवादीगण

वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री सीताराम शाह
प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री संजय कुमार सिन्हा,

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वाद पत्र के अनुसूची में वर्णित संपत्ति पर उसका अधिकार, स्वत्व, एवं हित की घोषणा एवं यदि विवादित सम्पत्ति पर वादी बेदखल पाया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा कब्जा दिलाये जाने हेतु तथा विकय विलेख दिनांक 28.09.1959 को अवैध एवं शून्य घोषित किया जाय एवं वादी द्वारा वाद खर्च एवं अन्य अनुतोष अथवा अनुतोषों जिसे पाने के हकदार है, के लिए दाखिल किया गया है।

2. अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति

ग्राम उलातु, थाना नामकुम, थाना संख्या–339, जिला रांची के खाता संख्या 669, प्लॉट संख्या 2549, रकबा–2.46 एकड़ में स्थित है, जो वाद संपत्ति के रूप में दर्शाया गया है। जिसका चौहद्दी इस प्रकार हैः–

उत्तर– टांर गन्दुरा लोहार

दक्षिण टांर मोश्मात आली उरांइन

पूरब– रोड

पश्चिम– मेघनाथ राय

3. वाद पत्र के अनुसार वादी का संक्षिप्त अभिवचन यह है कि ग्राम उलातु, थाना नामकुम, थाना संख्या–339, जिला रांची के खाता संख्या 669, प्लॉट संख्या 2549, रकबा–2.46 एकड़ में स्थित है, पर वादी के पूर्वज लाल शंभू राय की बकास्त भूमि के रूप में खतियान में खतियानी रैयत के रूप में नाम दर्ज है। ,उक्त खाता जिसमें कई प्लॉट है, जिनका कुल रकबा 20.47 एकड़ है और वह लाल शंभू राय के पुत्रों द्वारा संयुक्त रूप से विरासत में प्राप्त हुआ था और उनके द्वारा विभाजन न होने के कारण संयुक्त रूप से रहा। चूंकि दर्ज भूमिधारक शंभू राय के दो पुत्र थे, लाल कमल नाथ राय और लाल मन मोहन राय, उनके परिवार की वंशावली इस प्रकार है–

वंशावली

लाल शंभू राय

1

————————————————————————

1 1

लाल कमल नाथ राय लाल मनमोहन राय

1 (निःसंतान मृत)

लाल मृत्युंजय राय

1

——————————————

1 1

लाल मधुसुदन राय लाल जय गोविन्द राय (वादी संख्या–1)

1

लाल विश्वनाथ राय (वादी संख्या–2)

लाल कमल नाथ राय का निधन हो गया और वे अपने पीछे एक पुत्र लाल मृत्युंजय राय को छोड़ गये, जिनका भी निधन हो गया और वे अपने पीछे दो पुत्रों क्रमशः लाल मधुसुदन राय एवं लाल जय गोविन्द राय जो वादी संख्या–1 तथा लाल मधुसुदन राय की भी मृत्यु हो गयी वे अपने पीछे एक पुत्र लाल विश्वनाथ राय को छोड़ गये जो वादी संख्या–2 है। लाल शंभू राय के

दूसरे पुत्र लाल मन मोहन राय की वैधानिक रूप से विवाहित पत्नी से कोई संतान नहीं थी और पत्नी के मरने के बाद लाल मनमोहन राय एक औरत धनमनि को रखैल के रूप में लाये थे जो अपने साथ अपना लड़का धाना को साथ लेकर आयी थी। लाल मनमोहन राय ने अपने गोद लिये बेटे धाना के पक्ष में खाता संख्या 669 , प्लॉट संख्या 4663 रकबा 0.25 एकड़, प्लॉट संख्या 4691, रकबा 4.89 एकड़, प्लॉट संख्या 4924 रकबा 0.10 एकड़, प्लॉट संख्या 4925, रकबा 0. 17 एकड़, कुल रकबा 6.31 एकड़ भूमि का रैयती बंदोबस्त विलेख निष्पादित किया। वर्ष 02.03. 1943 संवत 2000 को 100/रुपये सलामी के रूप में और वार्षिक किराया तथा उपकर 0.10 रुपये के रूप में देय था। खाता संख्या 669 के अंतर्गत उपर्युक्त पांच प्लॉटों को छोड़ कर अन्य सभी प्लॉटों पर निम्नलिखित व्यक्ति का कब्जा था। वादी संख्या 1 के पिता और वादी संख्या 2 के दादा लाल कमल नाथ राय और लाल मन मोहन राय की मृत्यु के बाद लाल मृत्युंजय राय की मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे अपने पुत्र लाल मधुसुदन राय और लाल जय गोविन्द राय को छोड़ गये जो उनकी मृत्यु के समय नाबालिग थे। लाल मधुसुदन राय इन जमीनों पर खेती कर रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद वादी इन जमीनों पर कब्जा में हैं। धाना राय, जो खाता संख्या 669 के अंतर्गत लाल मन मोहन राय द्वारा वर्ष 1943 में दी गई 6.31 एड़ भूमि पर अपने जीवन काल के दौरान कब्जा रखते थे और उनकी मृत्यु हो गई, उनके अपने कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। उक्त खाता बकास्त मालिक की भूमि है और जमींदारी की जांच के बाद चूंकि भूमि भूस्वामी के विशेष कब्जे में थी, इसलिए सरकार द्वारा भूस्वामी के नाम पर किराया तय किया गया है और लाल मृत्युंजय राय द्वारा सरकार को नियमित रूप से किराया अदा किया जाता है। खाता संख्या 669, प्लॉट संख्या 2549 के अंतर्गत आने वाली भूमि 2.46 भूमि वाद भूमि जिसमें खाता संख्या 669 के अन्य प्लॉटों भी शामिल है। वादी संख्या 1 के पिता और वादी संख्या–2 के दादा के समय की भूमि सहित वादीगण के कब्जे में है। प्रतिवादियों के पिता ने धोखाधड़ी और गलत बयानी से ग्राम उलातु , थाना नामकुम, थाना संख्या 339, जिला रांची के खाता संख्या 669 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 2549 की बिक्री अपने नाम करवा लिया, जबकि वह जमीन न तो धाना राय को हस्तांतरित की गई थी और न ही वह इस जमीन पर कब्जे में था। वादीगण अपने पिता और दादा के समय से इस जमीन पर कब्जे में है। प्रतिवादियों ने हाल ही में जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि जमीन उनके पिता द्वारा पहली बार जून 2011 में खरीदी गई थी। इसके बाद जब वादीगण ने दस्तावेजों की छानबीन शुरू की तो उन्हें पता चला कि विलेख बिक्रेता धाना राय के नाम पर निष्पादित किया गया था, जबकि उन्हें विलेख निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादियों के पिता के पक्ष में भूमि का जैसा कि वाद पत्र में पहले बताया गया है। लाल मन मोहन राय ने अपनी विवाहित पत्नी की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण धनमनी नाम एक महिला और उसके पुत्र को अपने साथ लाया और उसे खाता संख्या 669 के अंतर्गत वर्ष 1943 में कुछ भूमि भी दी थी, लेकिन वाद की भूमि नहीं दी थी। उक्त भूमि पर वादी के पिता और दादा के समय से ही वादीगण का कब्जा है। प्रतिवादियों ने 24 जुलाई 2011 को अपने पिता द्वारा भूमि पर कथित रूप से खेती करने का प्रयास किया। चूंकि विवादित भूमि धाना राय की भूमि नहीं थी और न ही वह उस भूमि पर कब्जे में था। इसलिए विक्रय विलेख निष्पादित करने का उसे कानूनी अधिकारी नहीं था। कथित विक्रय

विलेख फर्जी और अवैध है और वादी ने खोजबीन के बाद विकय विलेख की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन किया और यह पता चला कि विकय विलेख पर दुर्गा राय के नाम से थे। उक्त बिक्रीनामा की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि वादी को 11.11.2011 को प्राप्त कराया गया था। वाद का कारण वर्ष 1959 में अवैध रूप से निष्पादित विलेख हुआ। इसके बाद जून 2011 में और 24 जुलाई 2011 को जब प्रतिवादियों ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर विवादित भूमि पर जुताई करने का प्रयास किया। वाद का मूल्यांकन 1,70,000/रुपये अंकित किया गया है, जिस पर वादी द्वारा न्याय शुल्क अदा किया गया है। अंत में वादी द्वारा वाद पत्र में मांगे गये अनुतोष को दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. प्रतिवादी गण उपस्थित होकर अपना लिखित अभिकथन दाखिल कर अभिवचन किया है कि वादी का वाद झूठा, निराधार और परेशान करने वाला है और इसे मुआवजे के साथ खारिज किये जाने योग्य है। जिस प्रकार से वाद दाखिल किया गया है, सुनवाई योग्य नहीं है। वादी के पास वाद दाखिल करने का कोई आधार नहीं है। वाद पत्र के पैरा 22 और अन्यत्र लगाये गये आरोप, जो वाद के वाद कारण उत्पन्न होने से संबंधित है, जो वाद के उद्देश्य से बनाये गये है। वाद परिसीमा, प्रतिकूल कब्जा और बेदखली के कारण वर्जित है। यह वाद विबंधन, अभित्यजन एवं उपमति के सिद्धांत से भी वर्जित है। वाद का मूल्य बहुत कम लगाया गया है और अदा की गई न्याय शुल्क पर्याप्त नहीं है। जब तक वादी वाद की सम्पत्ति का मूल्यांकन उसके बाजार मूल्य के अनुसार नहीं करते, जो कि 10,00,000/रुपये से कम नहीं हो सकता, तब तक वाद लंबित रहेगा।

वादीगण का इन प्रतिवादियों की स्वामित्व वाली और इन प्रतिवादियों के पिता लाल दुर्गा प्रसाद राय द्वारा दिनांक 28.08.1959 को निष्पादित पंजीकृत विकय विलेख के आधार पर अधिग्रहित की गई वाद भूमि पर कोई अधिकार, स्वत्व, हित, कब्जा या किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यह स्व0 मन मोहन राय के पुत्र धनश्याम राय और स्व0 लाल मन मोहन राय की पत्नी धनमणि कुंवर द्वारा निष्पादित किया गया था। वाद पत्र के पैरा–1 में दिये गये कथनों के संबंध में यह कहा गया है कि वादियों का इन व्यक्तियों से संबंधित वाद भूमि पर कोई अधिकार, स्वत्व, हित , कब्जा या किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण जो इसके पूर्ण स्वामी है और इस पर शांतिपूर्ण कब्जा रखते हैं। वाद पत्र के पैरा–2 से 5 में किये गये कथन सही नहीं है और इन्हें अस्वीकार किया जाता है। यह आरोप अस्पष्ट हैं। यह बिल्कुल गलत है कि लाल शंभू राय के पुत्रों को जमीन विरासत में मिली और वे संयुक्त रूप से उनके अधीन रहे। वाद पत्र के पैरा–3 में दी गई वंशावली तालिका गलत और अपूर्ण है। यह बिल्कुल गलत है कि लाल शंभू राय के पुत्रों में से एक लाल मन मोहन राय की कोई संतान नहीं थी। वास्तव में उनकी विधवा लाल मन मोहन राय के बाद धनमणि कुंवर और उनके पुत्र घनश्याम राय उनके कानूनी उत्तराधिकारी थे अर्थात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी। यह भी बिल्कुल गलत है कि मृत्युंजय राय के केवल दो पुत्र थे, जिनका नाम लाल मधुसुदन राय और लाल जय गोविन्द राय था। वास्तव में खेमजीत रय उर्फ कुरा भी लाल मृत्युंजय राय के पुत्र थे। खेमजीत राय की कोई संतान नहीं थी। अतः उक्त कंडिकाओं में

लगाये गये सभी आरोप सरासर झूठे, निराधार, दुर्भावनापूर्ण और शरारतपूर्ण है। वादीगण को कंडिकाओं में दिये गये कथनों का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। वाद पत्र के कंडिका–6 एवं 7 में किये गये कथन सही नहीं है और इन्हें अस्वीकार किया जाता है । यह सरासर झूठा और दुर्भावनापूर्ण है कि धाना, लाल मनमोहन राय के रखैल का पुत्र था। वास्तव में धनश्याम राय उर्फ धाना, लाल मन मोहन राय का पुत्र था, जो उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी धनमणि कुंवर से हुआ था। 2.03.1943 का कोई रैयती बंदोबस्त विलेख नहीं था, जैसा कि वादियों द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है। यह सरासर झूठा है कि खाता संख्या 669 की भूमि , पांच प्लॉटों को छोड़ कर लाल कमल नाथ राय और लाल मनमोहन राय की मृत्यु के बाद वादी संख्या 1 के पिता और वादी संख्या 2 के दादा के कब्जे में थी। आगे कहा है कि रांची थाना संख्या 339, जिला रांची के उलातु गांव में स्थित खाता संख्या 669 के पंजीकृत खेवटदार और पूर्व जमींदार लाल शंभू राय का निधन हो गया। वे अपने पीछे दो पुत्र लाल कमल नाथ राय और लाल मन मोहन नाथ राय को छोड़ गये जो जमींदार बने और उन्हें खाता संख 669 के साथ साथ उक्त गांव की अन्य जमीनें भी विरासत में मिली। स्वर्गीय लाल शंभू राय के दोनों पुत्रों के बीच सौहार्दपूर्ण मौखिक बंटवारा हुआ ओर दोनों को अलग–अलग जमीनों का अनन्य कब्जा प्राप्त हुआ। वाद भूमि के साथ–साथ अन्य जमीनें मनमोहन राय को आवंटित की गई। मन मोहन राय ने मौखिक रूप से अपने पुत्र घनश्याम राय और उनकी पत्नी धनमणि कुंवर को किराया रसीद और कब्जे के अनुदान के साथ वाद भूमि का निष्पादन कर दिया, जिसके बाद प्रथागत हुकुमनामा दिनांक 22.02.1944 को हुआ और उन्हें कब्जा मिल गया। इसके अलावा लाल मनमोहन राय की मृत्यु के बाद, उनके पुत्र घनश्याम राय और उनकी विधवा धनमणि कुंवर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के नाते, वाद भूमि के उत्तराधिकार बने। अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने संयुक्त कब्जे मे ले लिया और कानूनी आवश्यकता के कारण उन्होंने दिनांक 28.09.1959 की पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से वाद भूमि को इन प्रतिवादियों के पिता लाल दुर्गा प्रसाद राय को मूल्यवान प्रतिफल पर बेच दिया और उन्हें उस पर कब्जा दे दिया और वे खरीद की तारीख से ही कब्जे में आ गये। दुर्गा प्रसाद राय ने वाद भूमि के संबंध में अपना नाम दर्ज कराया और राज्य का नियमित रूप से किराया अदा किया और अपने जीवन काल तक कब्जे में रहे। उनकी मृत्यु के बाद इन प्रतिवादियों को यह भूमि विरासत मे मिली और उन्होंने कब्जा कर लिया और अभी भी उस पर कब्जा बनाये हुए है और राज्य को नियमित रूप से किराया अदा कर रहे है। इन प्रतिवादियों ने वाद भूमि के एक हिस्से पर मकान का निर्माण किया है और एक आटा चक्की भी स्थापित की है। इन प्रतिवादियों ने वाद भूमि पर पूर्ण और अविभाज्य स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। यदि उनके स्वामित्व में कोई दोष है भी तो इन प्रतिवादियों ओर उनके पिता द्वारा खुले तौर पर प्रतिकूल रूप से कब्जे में रहने से यह दोषपूर्ण हो गया है। सभी संबंधित पक्षों, जिनमें वादी और उनके पूर्वज शामिल है की जानकारी में वैधानिक अवधि से अधिक समय तक वादियों को कंडिकाओं में लगाये गये आरोपों का कड़ा प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। वाद पत्र के पैरा–8 से 11 में दिये गये कथन सही नहीं है और इन्हें अस्वीकार किया जाता है। यह कहना बिल्कुल गलत और दुर्भावना पूर्ण है कि लाल मनमोहन राय ने खाता संख्या 669 के अंतर्गत 6.31 एकड़ भूमि धाना राय को दी थी और यह कहना कि लाल

मन मोहन राय की मृत्यु के समय उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, यह सरासर झूठा है कि जमींदारी मिलने के बाद चूंकि भूमि जमींदार के खास कब्जे में थी, इसलिए राज्य द्वारा भूस्वामी के नाम पर किराया तय किया गया था और लाल मृत्युंजय राय द्वारा राज्य को नियमित रूप से किराया अदा किया गया था। वादियों के दावे की असत्यता इस तथ्य से स्पष्ट है कि जय गोविन्द राय और खेमजीत राय ने 02.03.1977 की पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से वाद भूमि में से 40 डिसमिल भूमि नारायण राय को झूठे तरीके से बेच दी,जब कि उक्त केता को न तो कोई स्वामित्व प्राप्त हुआ और न ही उसने कभी वाद भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया। नारायण राय को भूमि बेचने का आरोप है। इन प्रतिवादियों को यह भी ज्ञात हुआ है कि वादी संख्या 1 ने दुर्भावनापूर्ण इरादे और कुटिल योजना से इन प्रतिवादियों की संपूर्ण विवादित भूमि को मेसर्स तेजस्वनी रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड को उसके निदेशक हरिलाल पटेल, स्व0 प्रेमजी भाई पटेल के पुत्र, दुकान संख्या 11 टैगोर हिल रोड, मोरहाबादी, थाना बरियातु, जिला रांची के माध्यम से दिनांक 04.02.2011 के पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा बेच दिया है। वादियों में से किसी को भी इन प्रतिवादियों की विशिष्ट विवादित भूमि को किसी भी व्यक्ति को बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, जिसमें उक्त कंपनी भी शामिल है। जिसने न तो कोई स्वामित्व प्राप्त किया और न ही कभी विवादित भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा किया। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेदों में लगाये गये सभी आरोप मनगढ़ंत और झूठ का पुलिंदा है और दुर्भावनापूर्ण इरादे और कुटिल योजना से विवादित भूमि पर झूठा दावा करने के लिए लगाये गये हैं। वाद पत्र के पैरा– 12 से 21 तक इन कंडिकाओं में लगाये गये आरोप सही नहीं है और इन्हें अस्वीकार किया जाता है। यह सरासर झूठा और दुर्भावनापूर्ण है कि खाता संख्या 669 , प्लॉट संख्या 2549, रकबा 2.46 एकड़ भूमि यानी विवादित भूमि खाता संख्या 669 के अन्य भूखंडों सहित , वादी संख्या 1 के पिता और वादी संख्या 2 के दादा के समय से वादियों के कब्जे में हैं यह सरासर झूठा और दुर्भावनापूर्ण है कि प्रतिवादियों के पिता ने धोखाधड़ी और गलत बयानी से ग्राम उलातु, थाना नामकुम, थाना संख्या 339, जिला रांची के खाता संख्या 669 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 2549 की भूमि के संबंध में अपने नाम पर विक्रय विलेख प्राप्त किया। वाद पत्र के पैरा–22 में लगाये गये आरोप सही नहीं है और इन्हें अस्वीकार किया जाता है। वाद पत्र के पैरा–23 में दिये गये कथनों के संबंध में यह कहा गया है कि वाद भूमि में इन प्रतिवादियो के स्वामित्व वाला मकान , आटा चक्की आदि शमिल है। वाद का मूल्यांकन 10,00,000/रुपये से कम नहीं हो सकता। अंत में प्रतिवादीगण द्वारा कथन किया गया है कि वादी दावा की गई किसी भी अनुतोष पाने का हकदार नहीं है।

5. उभय पक्ष के अभिवचन के आधार पर संशोधित कर निम्नलिखित वाद बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है–

1. Whether the suit is maintainable in its present form ?
2. Whether the plaintiff has any valid cause of action for the present suit ?
3. Whether the suit is barred by law of limitation, adverse possession and ouster?

4. Whether the plaintiffs acquired right, title and possession in the suit property?

5. Whether the sale deed dated 28.09.1959 is void ad-initio ?

6. Whether the plaintiffs are entitled for the any relief or relief's claimed by him ?

अभिलेख पर उभय पक्षों द्वारा दाखिल मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवरणः–

6. वादी द्वारा अपने अभिवचन के समर्थन में चार मौखिक साक्षी, का साक्ष्य कराया गया है। वादी साक्षी संख्या– 1. लाल शिव नारायण लाल, वादी साक्षी संख्या–2 कमिल तिर्की, वादी साक्षी संख्या–3 महादेव गोप, वादी साक्षी संख्या–4 लाल जय गोविन्द राय को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया गया हैः–

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य

प्रदर्श–1 – निबंधित विक्रय विलेख दिनांक 02.03.1943 की सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि

प्रदर्श 2 – निबंधित विक्रय विलेख संख्या 5802 दिनांक 28.09.1959 की सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि

प्रदर्श 3– सरकारी मालगुजारी रसीद संख्या 5122237 की मूल प्रति।

प्रदर्श–4 मौजा उलातु के खाता संख्या 669 के खतियान की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

7. प्रतिवादी द्वारा अपने अभिवचन के समर्थन में चार मौखिक साक्षी प्रतिवादी साक्षी संख्या–1 हरिहर राय, प्रतिवादी साक्षी संख्या–2, जलेश्वर राय, प्रतिवादी साक्षी संख्या–3 लाल हरिहर नाथ राय, प्रतिवादी साक्षी संख्या–4 लाल राम कुमार राय को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य

प्रदर्श–ए– निबंधित विक्रय विलेख संख्या 5802 दिनांक 28.09.1959 की सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि

प्रदर्श–बी – ग्राम उलातु, के खाता संख्या 669 के खतियान की सच्च अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

प्रदर्श–सी– शुद्धि पत्र

प्रदर्श–डी से डी/3– सरकारी मालगुजारी रसीदें।

प्रदर्श–सी/1 से सी/16– सरकारी मालगुजारी रसीदें।

प्रदर्श–ई– निबंधित विक्रय विलेख संख्या 11997 दिनांक 04.03.1975 की सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

प्रदर्श–ई/1– निबंधित विक्रय विलेख संख्या 1784 दिनांक 02.03.1977 की सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि

8. वादी साक्षी संख्या– 4 लाल जय गोविन्द राय, जो इस वाद के वादी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि विवादित जमीन उसके परदादा लाल शम्भू राय भूतपूर्व जमींदार का बकास्त जमीन आर0 एस0 खाता संख्या0 669 में दर्ज है। उनके परदादा स्व0 लाल शम्भू राय के दो लड़के थे, लाल कमलनाथ राय और लाल मनमोहन राय। लाल कमल नाथ राय के एक लड़का लाल मृत्युंजय राय के तीन लड़के कमशः लाल मधुसुदन राय, वह लाल जय गोविन्द राय एवं लाल खेमजीत राय जो अविवाहित मर गये। इसलिए वाद पत्र में लाल मृत्युंजय राय के केवल दो पुत्र का जिक किया गया है। उसके छोटे दादा लाल मन मोहन राय के विवाहित पत्नी के कोई संतान नहीं हुआ और पत्नी के मरने के बाद लाल मनमोहन राय एक औरत धनमणि को रखैल के रूप में लाये थे जो अपने साथ अपना लड़का धाना को साथ लेकर आयी थी। उसके छोटे दादा खाता संख्या 669 का जमीन रकबा 6.31 एकड़ मोबलिक 100/–रुपये सलामी वो सलामी वो मालगुजारी मोबलिक एक रुपया आठ आना शेष अलावे रैयती बन्दोबस्त हमेशा के लिये घोरपोसा वाके मौजा उलातु टोला महादेव परगना खुखरा, थाना जिला रांची रजिस्ट्री पट्टा जो दिनांक 02.03.1943 को धाना राय को दिये थे। जिसका बुक नं0 1, वौलूम संख्या 19, पेज संख्या 289–290 है, जिसका अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निबंधन कार्यालय से निकाला है, जो दाखिल किया है, जिसे प्रदर्श–1 आपत्ति के साथ अंकित किया गया है।

आगे कहा गया है कि उसके दोनों दादा लाल कमल नाथ राय एवं छोटे दादा लाल मन मोहन राय के मरने के बाद जो 6.31 धाना राय को दिया गया था, बाकी सभी जमीन खाता 669 सम्मिलित विवादित जमीन उसके पिता लाल मृत्युंजय राय के खास दखल जोत में आया जो जमींदारी उन्मूलन के बाद उनके नाम से रसीद निर्गत हो रहा है। प्रतिवादी के पिता लाल दुर्गा राय जो कर्मचारी का काम करते थे एक फर्जी पट्टा धाना राय और उसके मां धानमनी कुंवर के नाम से अपने नाम करवाये लेकिन जमीन में वे कभी दखल में न आये न उसका रसीद कटा। पट्टा में उल्लेख बात से विदित है कि फर्जी बात है कि धाना राय विवादित जमीन मौखिक हुकुमनामा से 1944 में हासिल किया था। जो बिल्कुल बेबुनियाद है। उक्त पट्टा जिसका बुक संख्या 1, वौलूम संख्या 34, पृष्ठ संख्या 265–267, डीड संख्या 5802 दिनांक 28.09.59 है। जिसका अभिप्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में दाखिल किया है, जिसे प्रदर्श– 2 अंकित किया गया। विवादित जमीन न तो धाना राय को हुकुमनामा से दिया गया था न धाना राय कभी जमीन पर स्वामित्व एवं दखल था। प्रतिवादी के पिता जो धाना राय एवं उनकी मां धनमनी कुंवर के नाम से एक फर्जी डीड ऑफ सेल अपने नाम से करवा लिये , लेकिन उक्त डीड का उल्लेख कभी भी उन लोगों के जीवनकाल तथा उसके पिता के जीवन काल में किये न ही जमीन पर दखल में आये। प्रतिवादी सब जो पहले पहल 2011 में जमीन पर दखल जोत का प्रयास किये और प्रतिवादी के द्वारा यह बात का दावा किया गया कि जमीन उसके पिता दुर्गा राय, धाना एवं उसके मां से ले लिये है। रजिस्ट्री पट्टा से लिये हैं। प्रतिवादी का दावा विवादित जमीन सन् 1959 के डीड से खरीद का दावा किया जाता है। जब कि न उनका जमीन में दखल है, न उनके नाम रसीद जमीन का कटा और पच्चास वर्ष के बाद 2006 में गलत अमान्य रसीद दर्शाते है। विवादित जमीन जिसमें वादी का आम करंज इत्यादि का पेड़ है तथा खाली जमीन में वादी का खेती होता है। विवादित जमीन जो वादी का खतियानी जमीन है, अपने पिता के बाद वादी

का खास दखल में है और वादी के द्वारा सरकार को मालगुजारी दिया जाता है एवं रसीद उनके पिता लाल मृत्युंजय राय के नाम से निर्गत होता है। धाना राय की मां को मनमोहन राय द्वारा रखैल रखी गयी थी तथा धाना को धानमती अपने साथ लायी थी, जिसे मनमोहन राय के द्वारा 1943 में 6.31 डी0 खोरपोश जीवन भरण पोषण के लिए दे दिया गया था। धाना राय लाल मनमोहन राय के अपने पुत्र नहीं थे, इसलिए प्रतिवादी का कथन कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत जमीन हासिल हुआ, गलत बेबुनियाद है। प्रतिवादी के पिता द्वारा फर्जी पट्टा के द्वारा वादी के खतियानी जमीन को धाना राय और उनके मां के नाम से डीड बनवाया जो गलत, अवैध, अमान्य है, जिसे रद्द किया जाय।

साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 25 से 27 में कहा है कि लाल शंभू राय के दो पुत्र थे। 1. लाल कमल नाथ राय, 2.लाल मन मोहन राय। वह इन दोनों को नहीं देखा था। इन दोनों के मरने का दिन, महीना, साल वह नहीं बता सकते हैं। लाल शंभू राय को पुत्री नहीं थी। लाल शंभू राय के दो पुत्र थे, इसका प्रमाण के रूप में कुर्सीनामा इस केस में दाखिल किये है, अन्य कोई प्रमाण नहीं दिये हैं। पैरा 29 में कहा है कि लाल मृत्युंजय के तीन लड़के थे उनमें से सिर्फ वह जीवित है। पैरा–31 में कहा है कि लाल मनमोहन राय, धनमणि कुंवर को रखैल के रूप में लाये थे, इसका कोई कागजी प्रमाण उसके पास नहीं है। उक्त बातें उसे उसकी मां बताई थी। उसकी मां उसे वर्ष 1997 के आसपास बताई थी। वह मां की बताई हुई बात को गवाही में लिखा है। पैरा–33 में कहा है कि विवादित जमीन लाल कमल नाथ राय एवं लाल मोहन राय के मरने के बाद उसके पिताजी के दखल में आया, इसका कोई कागजी प्रमाण वह दाखिल नहीं किया है। पैरा–36 में कहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रतिवादी के पिता दुर्गा राय रजिस्ट्री पट्टा दिनांक 28.09.1959 को धनमणि कुंवर एवं धाना राय से करवाये थे। पैरा–49 में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि उसका कहना गलत है कि धनवंती कुंवर लाल मनमोहन राय की रखैल थी एवं वह अपने साथ अपने पुत्र को लेकर आई थी।

9. वादी साक्षी संख्या– 1, 2 एवं 3 ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में वादी साक्षी संख्या–4 के अभिसाक्ष्य का समर्थन किया है।

10. वादी साक्षी संख्या–1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–18 एवं 19 में कहा है कि इस केस की अर्जी को वह नहीं पढ़े है। खाता, प्लॉट अर्जी में लिखा हुआ है। वह पढ़े नहीं है, नहीं बता सकते है कि क्या–क्या लिखा है। इस केस के जवाब को वह नहीं पढ़े है। वह नहीं जानते है कि इस केस में प्रतिवादी लोग क्या जवाब दिये है। पैरा–31 में कहा है कि खाता संख्या 669 में एक ही प्लॉट है। प्लॉट नंबर 2549, रकबा दो एकड़ 46 डिसमिल है। इसके उत्तर मेंगंगरा लोहार, दक्षिण में धर्मु भोक्ता, यांची उरांईन, पूरब में रास्ता, पश्चिम में ईट्ठी बैंठा है। पैरा–32 एवं 33 में कहा है कि हरिहर राय लिखा–पढ़ी के आधार पर जमीन का दावा कर रहे है। दुर्गा प्रसाद राय हरिहर के पिताजी थे, वे कर्मचारी का काम करते थे। उसे जानकारी नहीं है लाल मनमोहन राय के लड़के लाल धनश्याम राय एवं उनकी पत्नी धनमणि कुंवर ने विवादित जमीन के मालिक एवं दखलकार थे, ने सन् 1959 में रजिस्ट्री केबाला के द्वारा लाल दुर्गा प्रसाद राय को बिकी कर दखल दे दिया। वे दखल में नहीं थे।

11. वादी साक्षी संख्या–2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–13 में कहा है कि हरिहर राय 2000 से पहले कब्जा करना चाह रहा था, कब्जा करने का साल, महीना, दिन तारीख वह नही बता सकता है। पैरा–16 एवं 17 में कहा है कि हरिहर राय इस वाद में जो कागज दाखिल किये है उस`वह नहीं देखा है। वाद वाला जमीन का खतियान वह देखा है। खतियानी रैयत मनमोहन राय था। मनमोहन राय का लड़का नहीं था। पैरा–37 में कहा है कि उसे जानकारी नही है कि लाल मनमोहन राय के लड़के लाल धनश्याम राय एवं उनकी पत्नी धनमणि कुंवर से तकरारी जमीन को 28.09.1959 को रजिस्ट्री केबाला से लाल दुर्गा प्रसाद राय को बिकी कर दिया और उनका दखल नहीं दिया। पैरा– 46 एवं 47 में कहा है कि शपथ पत्र वह नहीं पढ़ा है, इसमें क्या–क्या लिखा है, वह नहीं जानता है। शपथ पत्र का वह एक दिन देखा भी, उसे शपथ पत्र जय गोविन्द दिखाया था।

12. वादी साक्षी संख्या–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–9 में कहा है कि वह अपने जमीन का खाता, प्लॉट संख्या नहीं जानते हैं। पैरा–34 एवं 35 में कहा है कि वह नहीं जानते है कि तकरारी जायदाद का मालगुजारी कौन देता है। उसे जानकारी नहीं है कि तकरारी जायदाद का मालगुजारी हरिहर राय देते हैं और कोई उल्लेखनीय तथ्य नहीं बताया है।

13. प्रतिवादी साक्षी संख्या–3 लाल हरिहर नाथ राय जो इस वाद में प्रतिवादी संख्या–1 है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि विवादित सम्पत्ति ग्राम उलातु, थाना नामकुम, जिला रांची में स्थित है, जिसका खाता संख्या 669, प्लॉट संख्या 2549 एवं रकबा 2 एकड़ 46 डिसमिल है। विवादित सम्पत्ति रिवीजनल सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। विवादित सम्पत्ति खाता संख्या 669 के अंतर्गत है, जिसका खेवट संख्या 17/2 है जो लाल शंभू राय के नाम से दर्ज है और खाता संख्या 669 की जमींदार दखलकार थे। लाल शम्भू राय अपने पीछे अपने दो पुत्र लाल कमल नाथ राय और लाख मनमोहन राय को छोड़ कर मरे। लाल मनमोहन राय अपने पीछे अपनी विधवा धनमनी कुंवर एवं अपने पुत्र धनश्याम राय उर्फ धाना को छोड़ कर मरे। लाल कमल नाथ राय एवं लाल मनमोहन राय के बीच उक्त खाता संख्या 669 की जमीनों का आपसी मौखिक बंटवारा हुआ और दोनों पक्ष अपने–अपने हिस्से की जमीनों पर दखलकार हुए। मनमोहन राय अपने हिस्से की जमीनों को जिसमें विवादित सम्पत्ति भी शामिल है, अपने पुत्र धनश्याम राय एवं अपनी पत्नी धनमनी कुंवर को हुकुमनामा के द्वारा दिनांक 22.02.1944 को मौखिक बंदोबस्ती कर दिया। हुकुमनामा के साथ मालगुजारी का रसीद भी निर्गत किया साथ ही साथ बंदोबस्त किये गये जमीनों पर घनश्याम राय एवं धनमनी कुंवर को दखल भी दिया। मनमोहन राय की मृत्यु के बाद उनकी सभी जमीनों पर उनके पुत्र घनश्याम राय एवं उनकी विधवा धनमनी कुंवर का हक हुआ और वे दोनों उसके शामिलात दखल में आये। धनमनी कुंवर एवं घनश्याम राय ने अपनी वैधानिक जरूरतों की पूर्ति हेतु विवादित जमीन को उसके पिता लाल दुर्गा प्रसाद राय को निबंधित विकय पट्टा से दिनांक 28.09.1959 को उचित प्रतिफल पर विकय कर दिया एवं उसके पिता को विवादित सम्पत्ति का दखल दिया गया। उसके पिता विवादित सम्पत्ति कय करने के

पश्चात एवं दखल में आने के पश्चात सरकारी सिरिस्ते में अपने नाम से दाखिलखारिज कराया एवं सरकार को मालगुजारी का भुगतान किया। उसके पिता जब तक जीवित रहे विवादित सम्पत्ति पर दखलकार रहे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वह और उसका भाई विवादित सम्पत्ति पर दखलकार चले आ रहे हैं। विवादित सम्पत्ति का मालगुजारी वर्तमान में वे दोनों भाई ही सरकार को अदा कर रहे हैं। विवादित सम्पत्ति के भाग पर वे दोनों भाइयों में मकान का निर्माण किया एवं एक आटा मिल भी स्थापित किया। दिनांक 28.09.1959 का मूल रजिस्ट्री पट्टा है, जिसके द्वारा घनश्याम राय एवं धनमनी कुंवर ने विवादित सम्पत्ति उसके पिता दुर्गा प्रसाद राय को विक्रय किया। उक्त मूल विक्रय पट्टा 30 वर्षों से भी ज्यादा पुराना दस्तावेज है, जो पूर्व में खरीदगी की तिथि से उसके पिता के अधिपत्य में था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वे दोनों भाइयों के अधिपत्य में आया और वे लोगों ने अपने अधिपत्य से इस वाद में विक्रय पट्टा को दाखिल किया है, जिसे प्रदर्श–ए अंकित किया गया है। ग्राम उलातु, थाना रांची हाल थाना नामकुम , थाना संख्या 339, जिला रांची के खाता संख्या 669 का मूल खतियान की सच्ची प्रतिलिपि है जो एक लोक दस्तावेज है, जिसे प्रदर्श–बी अंकित किया गया है। दिनांक 04.02. 2011 के निबंधित विक्रय पट्टा की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है जो एक लोक दस्तावेज है, जिसे प्रदर्श–ए/1 अंकित किया गया। वादी का यह कहना गलत है कि लाल मनमोहन राय की मृत्यु नाबल्द हो गई, बल्कि लाल मनमोहन राय अपने पीछे अपनी विधवा धनमनी कुंवर एवं बेटे धनश्याम राय को छोड़ कर मरें। वादी का यह भी कहना बिल्कुल गलत है कि धाना मनमोहन राय के रखैल का पुत्र था। साथ ही दिनांक 24.04.2017 को पूरक मुख्य परीक्षण दाखिल किया गया तथा उसका प्रतिपरीक्षण भी किया गया है। पूरक शपथ पर मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसने अपने पास रखे हुए 17 मालगुजारी रसीद दाखिल किया है, जो इस वाद के अभिलेख में संलग्न है जिसमें एक मालगुजारी रसीद दिनांक 06.09.2010 है। बाकी रसीद जो साल 1997 से लेकर 1982–83 का है जो तीस वर्ष से अधिक पुराना है जो उसके अधिपत्य में था जिसे उसने अपने अधिपत्य से स्वयं न्यायालय में दाखिल किया है, जिसे प्रदर्श–3/1 से 3/16 अंकित किया गया है। परन्तु आदेश दिनांक 08.07.2026 के आदेश द्वारा प्रदर्श– 3/1 से 3/16 को सुधार कर प्रदर्श– सी/1 से सी/16 अंकित किया गया है।

साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 22 में कहा है कि खाता संख्या 669 का मालिक लाल शम्भू नाथ राय थे, जो खतियानी मालिक थे। पैरा– 24एवं 25 में कहा है कि लाल शम्भू नाथ राय लाल जय गोवन्द राय के परदादा थे। खता संख्या 669 का कुल रकबा वह नहीं बता सकता । पैरा–28 से 30 में कहा है कि लाल मृत्युंजय नाथ राय के पिता का नाम लाल कमल नाथ राय था। लाल कमल नाथ राय, मनमोहन राय दोनों भाई थे। जमींदारी में कब भेस्ट हुआ था, उसे मालूम नहीं है। वर्ष 1955–56 में जमींदारी भेस्टिंग के समय कमल नाथ राय और मनमोहन राय की मृत्यु हो चुकी थी या नहीं उसे मालूम नहीं है। पैरा–33 में कहा है कि उसे जानकारी नहीं है कि मनमोहन राय रखैल के बेटा धाना राय के जमीन दिये थे। पैरा–34 में कहा है कि उसे जानकारी नही है कि मन मोहन राय धाना राय को खरपोश में 6 एकड़ 31 डिसमिल जमीन खाता संख्या 669 का जमीन है। पैरा–39 एवं 40 में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि जमींदारी उन्मुलन के बाद वादी के पिता लाल मृत्युंजय नाथ राय के नाम से लगान खुला। ऐसी बात नहीं

है कि तकारी जमीन का लगान मृत्युंजय नाथ राय के नाम से कटता है। पैरा–42 एवं 43 में कहा है कि लगान रसीद वर्ष 16–17 को जो रसीद है जिसके प्लॉट संख्या 2549 भी है, जिसे गवाह देख कर कहते है कि यह रसीद सही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि तकरारी जमीन में वादी लोगों का दखल कब्जा है और खेती होता है। पुनः मुख्य परीक्षण के प्रतिपरीक्षण के पैरा–9 में कहा है कि मालगुजारी रसीद संख्या 1491485149 को देख कर गवाह कहते है कि यह फर्जी रसीद है।

14. प्रतिवादी साक्षी संख्या–4 लाल राम कुमार राय, जो प्रतिवादी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि विवादित सम्पत्ति ग्राम उलातु, थाना नामकुम, जिला रांची में स्थित है, जिसका खाता संख्या 669, प्लॉट संख्या 2549 एवं रकबा 2 एकड़ 46 डिसमिल है। विवादित सम्पत्ति रिवीजन सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। विवादित सम्पत्ति खाता संख्या 669 के अंतर्गत है जिसका खेवट संख्या 17/2 है जो लाल शंभू राय के नाम से दर्ज है और खाता संख्या 669 की जमीनों पर दखलकार है। आगे वादी साक्षी संख्या–4 के अभिसाक्ष्य पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए कहा है कि शुद्धि पत्र का प्रति है जो नामकुम अंचल कार्यालय से जारी किया गया हे, जो अंचल के कर्मचारी ऐनुल हक के द्वारा भरा गया है, जिसे वह पहचानता है और शुद्धि पत्र पर अंचलाधिकारी श्री राम लखन प्रसाद गुप्ता नामकुम अंचल का हस्ताक्षर है एवं कार्यालय मुहर भी लगा हुआ है, जिसे वह पहचानता है जिसे प्रदर्श–सी– अंकित किया गया। मालगुजारी रसीद संख्या 302761 जो कर्मचारी ऐनुल हक के द्वारा काटा हुआ है, उनके हस्ताक्षर है जिसे वह पहचानता है, दूसरा मालगुजारी रसीद संख्या 123249 एवं 2127106 जो कर्मचारी सिपाही राम के द्वारा निर्गत किया गया है उनके दस्तखत भी है, जिसे वह पहचानता है, तीनों रसीदों को क्रमशः डी, डी/1 एवं डी/2 अंकित किया गया। एक और रसीद संख्या 4184224 है, जो नामकुम अंचल के कर्मचारी सत्य नारायण पातर के द्वारा निर्गत किया गया है, जिसे वह पहचानता है, जिसे प्रदर्श–डी/3 अंकित किया गया।

इस साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा– 23 से 25 में कहा है कि तकरारी जमीन खाता 669 के जमीन का बंटवारा कब हुआ वह नहीं बता सकता। बंटवारा का उसने कोई भी कागजात नहीं देखा है। यह बात गलत है कि धाना राय को मन मोहन राय खरपोश में वर्ष 1943 में निबंधित पट्टा से 6 एकड़ 31 डिसमिल जमीन दिये थे। पैरा–28 में कहा है कि यह केस लाल जय गोविन्द राय किये है। शंभू राय जमींदार थे या नहीं उसे जानकारी नहीं है। पैरा–35 में कहा है कि खाता संख्या 669 प्लॉट संख्या 2549 जो वर्ष 2017 का ऑन लाइन रसीद में लाल मृत्युंजय राय के नाम से है, जो गलत है। पैरा–38 में कहा है कि खाता 669 में कितना रकबा और प्लॉट में मन मोहन राय को कितना–कितना प्लॉट मिला था। वह नहीं जानता है। पैरा–49 में कहा है कि वर्ष 1959 के बाद उसके पिताजी के नाम से वर्ष 2005–06 का रसीद उसके पिताजी के नाम से कटाा है और इससे पहले धाना राय के नाम से रसीद कटा है।

15. प्रतिवादी साक्षी संख्या–1 एवं 2 अपने–अपने मुख्य परीक्षण में वादी साक्षी संख्या 3 के अभिसाक्ष्य का समर्थन किया है।

16. प्रतिवादी साक्षी संख्या–1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–10 में कहा है कि वह तकरारी जमीन को जानता है। यह जमीन हरिहर नाथ राय के नाम से खतियानी जमीन है। पैरा–19 में कहा है कि धाना राय का नाम वह सुना है, मनमोहन राय धनमणि को शादी करके लाया था, इसी धनमणि से धाना राय बेटा है और कोई उल्लेखनीय तथ्य नहीं बताया है।

प्रतिवादी साक्षी संख्या–2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 27 में कहा है कि जमींदारी उन्मूलन के समय मृत्युंजय लाल राय जिन्दा थे। पैरा–31 में कहा है कि दुर्गा प्रसाद कब दाखिलखारिज कराये वह नहीं बता सकता और किस वर्ष दाखिलखारिज करवाये और कब करवाये वह नहीं बता सकता। पैरा–37 में कहा है कि तकरारी जायदाद में दुर्गा प्रसाद के लड़के लोग खेती करते है,एक ही टांड है। पैरा–41में कहा है कि लाल मनमोहन राय की विवाहित पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, पत्नी के मरने के बाद लाल मनमोहन राय एक औरत को लाये और एक लड़के को लाये यह बात गलत है। पैरा–48 में कहा है कि खाता संख्या 669 में जो 6.31 डिसमिल जमीन दिया गया था उसी में धाना राय खेती करते थे। और कोई उल्लेखनीय तथ्य का उजागर नहीं किया है।

17. वाद बिन्दु संख्या 4 एवं 5 Whether the plaintiffs acquired right, title and possession in the suit property? Whether the sale deed dated 28.09.1959 is void ab-initio ?

वाद बिन्दु संख्या–4 एवं 5 को सर्व प्रथम निर्धारित किया जाता है क्योंकि इस वाद के सबसे महत्वपूर्ण वाद बिन्दु है। वाद बिन्दु 4 एवं 5 के द्वारा न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि वादी गण का वाद पत्र के अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति पर अधिकार, स्वत्व, हित एवं कब्जा प्राप्त है ? एवं क्या निबंधित विकय विलेख दिनांक 28.09.1959, आरंभ से शून्य है ?

इस संबंध में वादी का दावा है कि ग्राम उलातु, थाना नामकुम, थाना संख्या–339, जिला रांची के खाता संख्या 669, प्लॉट संख्या 2549, रकबा–2.46 एकड़ में स्थित है, पर वादी के पूर्वज लाल शंभू राय की बकास्त भूमि के रूप में खतियान में खतियानी रैयत के रूप में नाम दर्ज है। ,उक्त खाता जिसमें कई प्लॉट है, जिनका कुल रकबा 20.47 एकड़ है और वह लाल शंभू राय के पुत्रों द्वारा संयुक्त रूप से विरासत में प्राप्त हुआ था और उनके द्वारा विभाजन न होने के कारण संयुक्त रूप से रहा। चूंकि दर्ज भूमिधारक शंभू राय के दो पुत्र थे, लाल कमल नाथ राय और लाल मन मोहन राय, लाल कमल नाथ राय का निधन हो गया और वे अपने पीछे एक पुत्र लाल मृत्युंजय राय को छोड़ गये, जिनका भी निधन हो गया और वे अपने पीछे दो पुत्रों कमशः लाल मधुसुदन राय एवं लाल जय गोविन्द राय जो वादी संख्या–1 तथा लाल मधुसुदन राय की भी मृत्यु हो गयी वे अपने पीछे एक पुत्र लाल विश्वनाथ राय को छोड़ गये जो वादी संख्या–2 है। लाल शंभू राय के दूसरे पुत्र लाल मन मोहन राय की वैधानिक रूप से विवाहित पत्नी से कोई संतान नहीं थी और पत्नी के मरने के बाद लाल मनमोहन राय एक औरत धनमणि को रखैल के रूप में लाये थे जो अपने साथ अपना लड़का धाना को साथ लेकर आयी थी। लाल मनमोहन राय ने अपने गोद लिये बेटे धाना के पक्ष में खाता संख्या 669 , प्लॉट संख्या 4663 रकबा 0.25 एकड़, प्लॉट संख्या 4691, रकबा 4.89 एकड़, प्लॉट संख्या 4924 रकबा

0.10 एकड़, प्लॉट संख्या 4925, रकबा 0.17 एकड़, कुल रकबा 6.31 एकड़ भूमि का रैयती बंदोबस्त विलेख निष्पादित किया। धाना राय, जो खाता संख्या 669 के अंतर्गत लाल मन मोहन राय द्वारा वर्ष 1943 में दी गई 6.31 एकड़ भूमि पर अपने जीवन काल के दौरान कब्जा रखते थे और उनकी मृत्यु हो गई, उनके अपने कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। उक्त खाता बकास्त मालिक की भूमि है और जमींदारी की जांच के बाद चूंकि भूमि भूस्वामी के विशेष कब्जे में थी, इसलिए सरकार द्वारा भूस्वामी के नाम पर किराया तय किया गया है और लाल मृत्युंजय राय द्वारा सरकार को नियमित रूप से किराया अदा किया जाता है। खाता संख्या 669, प्लॉट संख्या 2549 के अंतर्गत आने वाली भूमि 2.46 भूमि वाद भूमि जिसमें खाता संख्या 669 के अन्य प्लॉटों भी शामिल है। वादी संख्या 1 के पिता और वादी संख्या–2 के दादा के समय की भूमि सहित वादीगण के कब्जे में है।

जबकि प्रतिवादीगण का दावा है कि विवादित सम्पत्ति ग्राम उलातु, थाना नामकुम, जिला रांची में स्थित है, जिसका खाता संख्या 669, प्लॉट संख्या 2549 एवं रकबा 2 एकड़ 46 डिसमिल है। विवादित सम्पत्ति रिवीजनल सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। विवादित सम्पत्ति खाता संख्या 669 के अंतर्गत है, जिसका खेवट संख्या 17/2 है जो लाल शंभू राय के नाम से दर्ज है और खाता संख्या 669 की जमींदार दखलकार थे। लाल शम्भू राय अपने पीछे अपने दो पुत्र लाल कमल नाथ राय और लाख मनमोहन राय को छोड़ कर मरे। लाल मनमोहन राय अपने पीछे अपनी विधवा धनमनी कुंवर एवं अपने पुत्र धनश्याम राय उर्फ धाना को छोड़ कर मरे। लाल कमल नाथ राय एवं लाल मनमोहन राय के बीच उक्त खाता संख्या 669 की जमीनों का आपसी मौखिक बंटवारा हुआ और दोनों पक्ष अपने–अपने हिस्से की जमीनों पर दखलकार हुए। मनमोहन राय अपने हिस्से की जमीनों को जिसमें विवादित सम्पत्ति भी शामिल है, अपने पुत्र धनश्याम राय एवं अपनी पत्नी धनमनी कुंवर को हुकुमनामा के द्वारा दिनांक 22.02.1944 को मौखिक बंदोबस्ती कर दिया। हुकुमनामा के साथ मालगुजारी का रसीद भी निर्गत किया साथ ही साथ बंदोबस्त किये गये जमीनों पर घनश्याम राय एवं धनमनी कुंवर को दखल भी दिया। मनमोहन राय की मृत्यु के बाद उनकी सभी जमीनों पर उनके पुत्र घनश्याम राय एवं उनकी विधवा धनमनी कुंवर का हक हुआ और वे दोनों उसके शामिलात दखल में आये। धनमनी कुंवर एवं घनश्याम राय ने अपनी वैधानिक जरूरतों की पूर्ति हेतु विवादित जमीन को उसके पिता लाल दुर्गा प्रसाद राय को निबंधित विकय पट्टा से दिनांक 28.09.1959 को उचित प्रतिफल पर विकय कर दिया एवं उसके पिता को विवादित सम्पत्ति का दखल दिया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र में तथा वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी संख्या–3 एवं 4 ने एक स्वर से कहा है कि विवादित जमीन उसके परदादा लाल शम्भू राय भूतपूर्व जमींदार का बकास्त जमीन आर0 एस0 खाता संख्या0 669 में दर्ज है। उनके परदादा स्व0 लाल शम्भू राय के दो लड़के थे, लाल कमलनाथ राय और लाल मनमोहन राय। लाल कमल नाथ राय के एक लड़का लाल मृत्युंजय राय के तीन लड़के कमशः लाल मधुसुदन राय, वह लाल जय गोविन्द राय एवं लाल खेमजीत राय जो अविवाहित मर गये। इसलिए वाद पत्र में लाल मृत्युंजय राय के केवल दो पुत्र का जिक किया गया है। उसके छोटे दादा लाल मन मोहन राय के विवाहित पत्नी के कोई संतान नहीं हुआ और पत्नी के मरने के बाद लाल मनमोहन राय एक औरत धानमनि को रखैल

के रूप में लाये थे जो अपने साथ अपना लड़का धाना को साथ लेकर आयी थी। उसके छोटे दादा खाता संख्या 669 का जमीन रकबा 6.31 एकड़ मोबलिक 100/–रुपये सलामी वो मालगुजारी मोबलिक एक रुपया आठ आना शेष अलावे रैयती बन्दोबस्त हमेशा के लिये घोरपोसा वाके मौजा उलातु टोला महादेव परगना खुखरा, थाना जिला रांची रजिस्ट्री पट्टा जो दिनांक 02.03.1943 को धाना राय को दिये थे। वादी द्वारा दर्शाये गये वाद पत्र के वंशावली को प्रतिवादीगण अपने जवाब दावा गलत बताया है। परन्तु इस तथ्य को साबित करने का भार वादी का है, जिसे खतियानी रैयत लाल शंभू राय के वंशावली से साबित किया जाना चाहिए था, सिर्फ वाद पत्र में उल्लिखित करने से नहीं होता है, इसे दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का भार वादी का था, जिसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र से किया जाना चाहिए था, जो वादी द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए उनके कथन पर विश्वास किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जहां वादी का कथन है कि लाल शंभू राय का दो पुत्र लाल कमल नाथ राय एवं लाल मन मोहन राय, लाल मनमोहन राय की मृत्यु निःसंतान हो गयी, परन्तु यह भी कहा गया है कि लाल मनमोहन राय की विवाहित पत्नी की मृत्यु हो गयी तथा पत्नी के मृत्यु के बाद एक रखैल धनमणि कंवर के साथ उसके एक पुत्र धाना राय को रखे। परन्तु प्रतिवादीगण का कथन है कि लाल मनमोहन राय की विवाहित पत्न धनमणि कुंवर है तथा उसका पुत्र धाना राय उर्फ घनश्याम राय है, इसे साबित करने का भार वादी का जो वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है।

साथ ही वादी द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 – निबंधित विकय विलेख दिनांक 02.03.1943 की सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श 2 – निबंधित विकय विलेख संख्या 5802 दिनांक 28.09.1959 की सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श 3– सरकारी मालगुजारी रसीद संख्या 5122237 की मूल प्रति। प्रदर्श–4 मौजा उलातु के खाता संख्या 669 के खतियान की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 निबंधित विकय विलेख दिनांक 02.03.1943 की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है, के अवलोकन से विदित होता है, लाल मनमोहन राय खाता संख्या 669 का जमीन रकबा 6.31 एकड़ मोबलिक 100/–रुपये सलामी वो मालगुजारी मोबलिक एक रुपया आठ आना शेष अलावे रैयती बन्दोबस्त हमेशा के लिये घोरपोसा वाके मौजा उलातु टोला महादेव परगना खुखरा, थाना जिला रांची रजिस्ट्री पट्टा जो दिनांक 02.03.1943 को धाना राय को दिये थे। जिसका बुक नं0 1, वौलूम संख्या 19, पेज संख्या 289–290 है। प्रदर्श–2 निबंधित विकय विलेख संख्या 5802 दिनांक 28.09.1959 की सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, के अवलोकन से विदित होता है कि धाना राय उर्फ घनश्याम राय एवं धनमनी कुंवर ने विवादित सम्पत्ति उसके पिता दुर्गा प्रसाद राय को विकय किया। प्रदर्श 3– सरकारी मालगुजारी रसीद संख्या 5122237 की मूल प्रति, के अवलोकन से विदित है कि लगान देने वाले में जय गोविन्द का नाम अंकित जो लाल शंभू राय के नाम से वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 का लगान रसीद है। प्रदर्श–4 मौजा उलातु के खाता संख्या 669 के खतियान की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है, के अवलोकन से विदित होता है कि उलातु के खाता संख्या 669 के खतियानी रैयत लाल शंभू राय हैं।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में चार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के सभी साक्षियों ने एक स्वर से कहा है कि विवादित सम्पत्ति खतियानी रैयत लाल शंभू राय के पुत्र घनश्याम राय एवं उनकी पत्नी धनमणि कुंवर से विवादित सम्पत्ति दिनांक 28.09.1959 को कय किया है, जो प्रदर्श–ए एवं प्रदर्श–2 से स्पष्ट है, जहां तक प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–बी – ग्राम उलातु, के खाता संख्या 669 के खतियान की सच्च अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिसके अवलोकन से विदित है कि उलात मौजा के खाता संख्या 669 के खतियानी रैयत लाल शंभू राय है। प्रदर्श–सी– शुद्धि पत्र, के अवलोकन से विदित है कि जो मौजा उलातु, के खाता संख्या 669 के प्लॉट संख्या 2549, रकबा 2.46 एकड़ भूमि श्री लाल दुर्गा प्रसाद बल्द लाल चन्द मोहन राय, सा0–राजा उलातु थाना नामकुम के नाम नामांतरण किया गया है। जो निबंधित विकय विलेख दिनांक 28.09.1959 के आधार पर किया गया है। प्रदर्श–डी से डी/3 के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित सम्पत्ति का मालगुजारी रसीद है, जो लाल दुर्गा प्रसाद के नाम से निर्गत है। प्रदर्श–सी/1 से सी/16– सरकारी मालगुजारी रसीदें। जिसके अवलोकन से विदित है कि विवादित सम्पत्ति का लगान प्रतिवादीगण द्वारा दिया जा रहा है।

प्रदर्श–ई– निबंधित विकय विलेख संख्या 11997 दिनांक 04.03.1975 की सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। के अवलोकन से विदित होता है कि घनश्याम राय, पिता लाल मनमोहन राय द्वारा श्रीमती नरेश कुंवरी देवी के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

प्रदर्श–ई/1– निबंधित विकय विलेख संख्या 1784 दिनांक 02.03.1977 की सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

उपरोक्त दस्तावेज से किसी भी प्रकार वाद सम्पत्ति पर वादी का स्वत्व, अधिकार, हित एवं कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। जहां तक प्रदर्श–2 निबंधित विकय विलेख संख्या 5802 दिनांक 28.09.1959 को प्रारंभ से शून्य घोषित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि विवादित सम्पत्ति पर वादी द्वारा अधिकार, स्वत्व , हित एवं कब्जा साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः वाद बिन्दु संख्या–4 एवं 5 वादी के विरुद्ध निर्णीत किये जाते है।

18. <u>वादपद संख्या– 1, 2, 3 एवं 6</u> Whether the suit is maintainable in its present form ? **Whether the plaintiff has any valid cause of action for the present suit ? Whether the suit is barred by law of limitation, adverse possession and ouster? Whether the plaintiffs are entitled for the any relief or relief's claimed by him ?**

वाद बिन्दु संख्या–1, 2, 3 एवं 6 द्वारा न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या यह वाद वर्तमान स्वरूप में पोषणीय है? क्या वादी को वाद हेतु वैध वाद हेतुक प्राप्त है? यह भी निर्धारित करना है कि क्या वादी का वाद परिसीमा अवधि एवं प्रतिकूल कब्जा से बाधित है? एवं क्या वादी मांगे गये अनुतोष एवं अन्य कोई अनुतोष को पाने के अधिकारी है? चूंकि इस वाद के मुख्य वाद बिन्दु संख्या–4 एवं 5 को वादी के विरुद्ध निर्णीत किया गया है। अतएव वादी का वाद

वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नहीं है। वादी को इस वाद हेतु वैध वाद हेतुक प्राप्त नहीं है तथा वादी का वाद को परिसीमा अवधि के अंदर दाखिल करने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है तथा प्रतिकूल कब्जा के सिद्धांत पर उभय पक्षों द्वारा कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी वाद पत्र में मांगे गये अनुतोष एवं कोई अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी नहीं है। अतएव वाद बिन्दु संख्या 1, 2, 3 एवं 6 वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है। तद्नुसार यह आदेशित किया जाता है कि—

आदेश

वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध ससंघर्ष एवं बिना खर्च के खारिज किया जाता है। तद्नुसार कार्यालय नियमानुसार डिक्री तैयार करें ।

(यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20 जुलाई 2026 दिन सोमवार को लेखापित, शुद्धित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।)

ह0/—
(चंदन कुमार गोस्वामी)
दीवानी न्यायाधीश (कनीय कोटि)
व्यवहार न्यायालय, राँची।
J.O. code No. J.H.02083
दिनांक 20.07.2026

ह0/—
(चंदन कुमार गोस्वामी)
दीवानी न्यायाधीश (कनीय कोटि)
व्यवहार न्यायालय, राँची।
J.O. code No. J.H.02083
दिनांक 20.07.2026